

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14226/2023

यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय ई-521, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302022-अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री रामावतार जांगिड़ पुत्र श्री लल्लू राम जांगिड़ के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, 10, संसद मार्ग, जनपथ कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, अपने सचिव के माध्यम से।
2. भारत सरकार, राजस्व विभाग, कमरा नंबर 48 सी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को अपने निदेशक के माध्यम से।
3. सीमा शुल्क आयुक्त, तीसरी मंजिल, सीमा शुल्क हाउस, 15/1, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001.

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रतीक कासलीवाल अधिवक्ता साथ में  
सुश्री गौरी जसाना अधिवक्ता और सुश्री  
वर्णाली पुरोहित अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री संदीप पाठक अधिवक्ता साथ में  
सुश्री जया पी. पाठक अधिवक्ता और सुश्री  
वर्तिका मेहरा अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर

## आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

13/09/2023

1. सुनवाई की पहली तारीख पर, विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप पाठक, अग्रिम प्रति पर उपस्थित हुए और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से नोटिस लिया।

जबकि याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि आक्षेपित अधिसूचना सं. 50/2023-सीमा शुल्क दिनांक 25.08.2023, जो उन लोगों को छूट का लाभ देने से इनकार करता है जिन्होंने पहले ही नकद में भुगतान कर दिया है और उन लोगों को भी छूट का लाभ देने की अनुमति देता है जिन्होंने 25 अगस्त, 2023 से पहले साख-पत्र खोले हैं, भेदभावपूर्ण और मनमाना है। उचित शर्तों के साथ अंतरिम उपाय के रूप में माल के निर्यात की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की रक्षा करने की प्रार्थना के साथ, रिट याचिका पर विचार करने के लिए इस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में एक गंभीर आपत्ति प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई थी।

अतः, मामले को रिट याचिका स्वीकार्य करने पर आपत्ति पर विचार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि जहां किसी याचिका को स्वीकार्य करने पर आपत्ति उठाई गई है, उसे गुणागुण से पहले निर्णय लिया जाना चाहिए। मामले का हालांकि कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका पर विचार करते हुए इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर तर्क दिया कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के उपरोक्त मुद्दे को तय करने के लिए, उत्तर आवश्यक नहीं है।

2. हमने इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर आपत्ति पर पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि कार्रवाई का कोई भी कारण इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा और रिट याचिका की स्थिरता पर आपत्ति

बरकरार रखी जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि रिट याचिका में बताए गए तथ्य अनिवार्य रूप से अधिसूचना संख्या की वैधता को चुनौती देने का प्रयास करते हैं। 49/2023-सीमा शुल्क और 50/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 25.08.2023 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी मुख्य रूप से इस आधार पर कि वे माल के निर्यात की अनुमति देते हैं जहां भुगतान केवल एक मोड द्वारा किया गया है, अर्थात्, क्रेडिट के अपरिवर्तनीय पत्र और माल के निर्यात को बाहर करने की मांग करते हैं जहां भुगतान अग्रिम भुगतान सहित अन्य तरीकों से किया गया है, तथ्यों के बयान के साथ कि याचिकाकर्ता अन्यथा छूट देने के लिए अन्य शर्तों का अनुपालन करता है जैसा कि अब तक लागू अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट है। चूंकि निर्यात के लिए माल 25 अगस्त, 2023 से पहले निर्यात के उद्देश्य से सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुका है और उचित अधिकारी द्वारा निकासी की अनुमति देने वाला आदेश जारी नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि तथ्यों का बंडल, जो कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग है, सभी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुए हैं जहां बंदरगाह वास्तव में स्थित है और जहां याचिकाकर्ता सीमा शुल्क स्टेशन में माल दर्ज करने का दावा करता है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका इस धारणा पर दायर की है कि केवल नकद मोड के माध्यम से भुगतान के कारण, छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है और मंजूरी जारी नहीं की जा रही है, जबकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मंजूरी दे दी गई है। याचिकाकर्ता को निर्यात शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी मानते हुए, केवल उस आधार पर इनकार कर दिया गया। अतः, यह तर्क दिया गया है कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता अपना व्यवसाय करता है और उसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर में है और भुगतान जयपुर में प्राप्त हुआ है, कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग यह है कि 25 अगस्त, 2023 से पहले निर्यात के उद्देश्य से माल सीमा शुल्क स्टेशन में आ चुका है और उचित अधिकारी द्वारा निकासी की अनुमति देने वाला कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कर की घटना माल का निर्यात है जो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित बंदरगाह पर होना है, माल सीमा शुल्क स्टेशन में आ चुका है या नहीं और अन्य सभी पहलू जो याचिकाकर्ता द्वारा छूट का दावा करने से पहले तथ्य के रूप में निर्धारण के लिए आवश्यक हैं, इस न्यायालय के

क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर उत्पन्न हुए हैं। तदनुसार, यह तर्क दिया गया है कि जयपुर में प्राप्त भुगतान या तो मनमाने और भेदभावपूर्ण के रूप में विवादित अधिसूचनाओं को रद्द करने या अधिसूचना संख्या 50/2023-सीमा शुल्क दिनांक 25.08.2023 को संशोधित करने के लिए वैकल्पिक राहत की राहत पाने के लिए कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग नहीं है। अपनी दलीलों के समर्थन में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भारत सरकार और अन्य बनाम अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य (2002) 1 एससीसी 567 और गोवा राज्य बनाम समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2023) 7 एससीसी 791 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

4. इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता प्रस्तावित आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती देना चाहता है कि यह भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि यह आधार पर लाभ का विस्तार करना चाहता है। केवल एक ही माध्यम से भुगतान, अर्थात् साख-पत्र और अन्य सभी माध्यमों को छोड़कर विदेशी आवक प्रेषण के माध्यम से जयपुर में प्राप्त भुगतान का तथ्य न केवल प्रासंगिक है बल्कि कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग है और अतः, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा इस न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता न केवल अपना व्यवसाय चला रहा है और उसका जयपुर में पंजीकृत कार्यालय है, बल्कि याचिकाकर्ता और खरीदार जयपुर में विभिन्न देशों में स्थित के बीच अनुबंध भी हुए हैं। उनके अनुसार, विदेशी आवक प्रेषण के माध्यम से भुगतान की प्राप्ति अधिसूचना संख्या को चुनौती देने का आधार है 50/2023- सीमा शुल्क दिनांक 25.08.2023, जो इसके शाब्दिक पढ़ने पर लाभ से इनकार करता है। अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने नवल किशोर शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य (2014) 9 एससीसी 329 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

5. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी के बारे में एक आपत्ति से निपटते समय, इस आधार पर कि कार्रवाई का कारण उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ है, इस

न्यायालय को अनिवार्य रूप से एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा रिट याचिका में दिए गए कथनों के आधार पर उसे सत्य और सही माना जाएगा। इसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में मूलभूत सिद्धांत के रूप में देखा गया है, जिसमें गोवा राज्य बनाम समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (सुप्रा.) के मामले में हाल की घोषणा भी शामिल है। अतः, प्रस्तुतियों की सराहना करने और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, हम पहले रिट याचिका में दिए गए कथनों पर गौर करेंगे, उन तथ्यात्मक बयानों की शुद्धता या अन्यथा पर जाए बिना।

6. रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता 1993 से कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है और एक अग्रणी स्टार एक्सपोर्ट हाउस होने का दावा करती है। केस के शीर्षक से पता चलता है कि इसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर में है। जैसा कि दलील दी गई है, याचिकाकर्ता यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका के बाजारों में विभिन्न गैर-जीएमओ, उत्पादों और प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्माण और व्यापार में संलग्न है। आगे दलील यह है कि याचिकाकर्ता ने वियतनाम स्थित तीन अलग-अलग खरीदारों के साथ भारतीय स्वर्ण पारबोइल्ड चावल (25% टूटा हुआ) के निर्यात के लिए तीन समझौते किए। यह भी दलील दी गई है कि विक्रेता याचिकाकर्ता और तीन खरीदारों के बीच क्रमशः 09.08.2023, 18.08.2023 और 18.08.2023 को अनुबंध भी निष्पादित किए गए थे। हालाँकि, रिट याचिका में उन स्थानों के बारे में नहीं बताया गया है, जहाँ अनुबंध निष्पादित किए जाने का आरोप है। समझौतों की प्रतियां भी रिकॉर्ड में रखी गई हैं, जिनमें उन स्थानों को भी नहीं दिखाया गया है जहां अनुबंध निष्पादित किए गए थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे तीनों खरीदारों से विदेशी आवक प्रेषण के रूप में अग्रिम राशि प्राप्त हुई। प्राप्त अग्रिम की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं जो दर्शाती हैं कि वे भुगतान जयपुर में प्राप्त किए गए थे।

7. जैसा कि अनुरोध किया गया था, एक अधिसूचना क्रमांक. 49/2023-सीमा शुल्क दिनांक 25.08.2023 को प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अधिसूचना के लागू होने की तारीख से तुरंत/उक्त उबले चावल के निर्यात पर 20% शुल्क (मूल्य पर) लगाने के लिए जारी की

गई थी। एक अन्य अधिसूचना क्रमांक. 50/2023-सीमा शुल्क दिनांक 25.08.2023 भी प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी की गई थी जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि निर्यात शुल्क, अधिसूचना संख्या 49/2023-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था। जो दिनांक 15.10.2023 तक प्रभावी रहेंगे। यह भी अधिसूचित किया गया कि 25 अगस्त, 2023 से पहले निर्यात के उद्देश्य से सीमा शुल्क स्टेशनों में पारबोल्ड चावल की मात्रा आ चुकी थी और जिसके लिए उचित अधिकारी ने निकासी की अनुमति देने वाला आदेश जारी नहीं किया है और जो क्रेडिट के अपरिवर्तनीय पत्रों द्वारा समर्थित छूट जारी रहेगी। इस प्रकार लगाए गए शुल्क से छूट रहेगी। उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को भी रिकॉर्ड में रखा गया है।

8. याचिकाकर्ता ने तब दलील दी कि उपरोक्त तीन अनुबंधों की विषय वस्तु बनाने वाले याचिकाकर्ता के कार्गो में उबले हुए चावल शामिल थे, जो 25.08.2023 को 16:19 बजे (4:19 बजे) और 21:35 बजे के बीच निर्यात के लिए सीमा शुल्क प्रवेश द्वार में 9:25 अपराह्न प्रवेश आ गए थे। जैसा कि अनुरोध किया गया था, दो अधिसूचनाओं के प्रकाशन से काफी पहले था, जो याचिकाकर्ता के अनुसार रात 10:49 बजे जारी किए गए थे। यह भी दलील दी गई है कि उक्त कार्गो बंदरगाह के अंदर गया था और पंजीकरण और स्कैनिंग सहित उससे संबंधित औपचारिकताएं भी विवादित अधिसूचनाएं प्रकाशित होने से पहले पूरी की गई थीं।

याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी है कि निर्यात किए जाने वाले सामानों के लिए एक अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसके लिए सीमा शुल्क निकासी की आवश्यकता होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सील का उपयोग करके ई-सीलिंग से शुरू होती है और प्रवेश/गेट-इन के समय ई-सील की स्कैनिंग होती है। इसके बाद कंटेनर को बंदरगाह के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। जैसा कि अनुरोध किया गया है, याचिकाकर्ता के विषय वस्तु के सामान वाले कार्गो को विवादित अधिसूचनाओं के प्रकाशन से एक दिन पहले 24.08.2023 को ई-सील कर दिया गया था, जैसा कि सीमा शुल्क विभाग के आधिकारिक पोर्टल से लिए गए विवरणों से स्पष्ट होगा। प्रत्येक ई-सीलिंग, अर्थात्, ई-सील नंबर, ई-सीलिंग की तारीख और समय और शिपिंग बिल। याचिका के साथ उक्त दस्तावेज भी रिकार्ड में रखे गये हैं।

9. इसके बाद यह दलील दी गई कि इससे पहले कि विषय वस्तु के सामान उचित अधिकारी द्वारा उनकी निकासी की अनुमति देने वाले आदेश प्राप्त कर सकें, विवादित अधिसूचनाएं 25.08.2023 को 22:49 बजे प्रकाशित की गईं, जो तुरंत प्रभाव से लागू हुईं और विषय वस्तु के सामान को शुल्क योग्य बना दिया गया। आगे यह दलील दी गई है कि अधिसूचना जारी होने के बाद, विषय वस्तु का सामान संबंधित अधिकारी की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने में असमर्थ था और अतः, निर्यात के लिए संसाधित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप यह अभी भी सीमा शुल्क विभाग में पड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने शिपमेंट की अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थी नंबर 3 को अपना अनुरोध मेल किया था, जिसे विवादित अधिसूचनाओं के प्रकाशन से पहले गेट-इन किया गया था, लेकिन इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

10. उपरोक्त दलील वाले तथ्यों पर, याचिकाकर्ता ने अधिसूचनाओं की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि दो अधिसूचनाएं मनमाने तरीके से संचालित की जा रही हैं और इस तरह से, वे पूर्वव्यापी रूप से संचालित होती हैं, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, कानून में अस्वीकार्य है। आगे आधार यह उठाया गया है कि याचिकाकर्ता, उन दो अधिसूचनाओं के आधार पर, उस कानून द्वारा दंडित/दंडित किया जा रहा है जिसके बारे में उसे अनुबंधों को निष्पादित करने के समय या यहां तक कि उस समय भी कोई जानकारी नहीं थी जब माल गेट-इन किया गया था, अधिसूचनाएं अधिसूचना जारी होने से पहले हुईं किसी कर संबंधी घटना के लिए कर दायित्व थोपना चाहते हैं।

आगे आधार यह उठाया गया है कि यद्यपि अधिसूचना सं. 50/2023-सीमा शुल्क दिनांक 25.08.2023 उन मामलों में सीमा शुल्क के भुगतान के बिना माल के निर्यात की अनुमति देता है जहां माल का निर्यात क्रेडिट के अपरिवर्तनीय पत्रों द्वारा समर्थित है, शाब्दिक पढ़ने पर, एक वर्ग के रूप में, उन सभी मामलों को बाहर करने का प्रयास किया जाता है माल के निर्यात का जहां भुगतान अग्रिम भुगतान सहित अन्य तरीकों से किया गया है, जैसा कि याचिकाकर्ता के मामले में है।

11. अगर हम रिट याचिका में पूरी दलीलों पर गौर करें, तो यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मंजूरी को इस आधार पर रोक दिया गया है कि भुगतान नकद के माध्यम

से किया गया है, न कि अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों के माध्यम से। वास्तव में, रिट याचिका में इस आशय का कोई विशेष कथन नहीं है कि केवल उस आधार पर, सीमा शुल्क के भुगतान पर जोर देते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है। बल्कि, रिट याचिका में दिए गए अन्य सभी तथ्य जो 25 अगस्त, 2023 से पहले निर्यात के उद्देश्य से सीमा शुल्क स्टेशन में माल दर्ज करने से संबंधित हैं, उचित अधिकारी द्वारा जारी किए गए निकासी की अनुमति के किसी भी आदेश के बिना बताए गए हैं। याचिकाकर्ता ने बिना किसी आधार के यह मान लिया है कि मंजूरी नहीं दी जा रही है और केवल नकद भुगतान के आधार पर सीमा शुल्क के भुगतान पर जोर दिया जा रहा है।

12. अतः, तथ्य, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, इस आधार पर शिकायत का मामला नहीं बनता है कि माल जारी होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निर्धारित तरीके से सीमा शुल्क स्टेशन में आने के बावजूद केवल अधिसूचनाओं में बताए गए भुगतान के तरीके से अलग भुगतान के आधार पर याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यदि ऐसा मामला होता कि प्रत्यर्थीगण ने केवल नकद मोड के माध्यम से भुगतान के आधार पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया है, तो यह कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग होता क्योंकि याचिकाकर्ता को यह साबित करना आवश्यक था। तथ्य, जब तक कि इसका पता न लगाया जाए, रिट याचिका में मांगी गई राहत प्राप्त करने में सफल होगा। याचिका में बताए गए अन्य सभी तथ्य, निर्विवाद रूप से, जिन्हें अन्यथा कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग माना जा सकता है, यहां तक कि याचिकाकर्ता के अनुसार, इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर उत्पन्न हुए हैं।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग के लिए कार्रवाई का कारण, पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ है या नहीं, यह तय करने के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की श्रृंखला में लागू सिद्धांत, विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों में, सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं।

14. भारत सरकार एवं अन्य बनाम अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य (2002) 1 एससीसी 567 (सुप्रा.) के मामले में, कुछ हद तक वर्तमान मामले के समान तथ्य, विचार के लिए सामने आए थे। तथ्यों के आधार पर, यह एक ऐसा मामला था जहां झींगा के



निर्यात पर दिए जाने वाले कुछ क्रेडिट के संबंध में आयात निर्यात नीति में निहित पासबुक योजना के लाभ का दावा शामिल था। इसमें प्रत्यर्थागण ने झोंगा के निर्यात और इनपुट के आयात के आधार पर लाभ का दावा किया। यह एक स्वीकृत तथ्य था कि प्रत्यर्था जो लाभ चाह रहे थे, उन्हें चेन्नई स्थित बंदरगाह के माध्यम से बढ़ाया जाना था। चूंकि उन लाभों को विभिन्न कारणों से स्वीकार नहीं किया गया था, अतः प्रत्यर्थागण ने अहमदाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष नागरिक आवेदन दायर किए। इस मामले के समर्थन में कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा अहमदाबाद में न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तथ्य नोट किए गए:

“13. उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों के बावजूद, प्रत्यर्थागण ने यहां दलील दी है कि विशेष नागरिक आवेदन के पैरा 16 में उनके द्वारा उठाई गई दलील के अनुसार, निम्नलिखित तथ्य अहमदाबाद में न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान करने की कार्रवाई का कारण बनते हैं। वे हैं:

(i) प्रत्यर्था अहमदाबाद से निर्यात और आयात का अपना व्यवसाय करते हैं;

(ii) उनके निर्यात और आयात के ऑर्डर अहमदाबाद से दिए जाते हैं और निष्पादित किए जाते हैं;

(iii) निर्यात और आयात के लिए दस्तावेज और भुगतान अहमदाबाद में भेजे/बनाए जाते हैं;

(iv) निर्यात के संबंध में दावा किए गए शुल्क का क्रेडिट अहमदाबाद से संभाला गया था क्योंकि निर्यात आदेश अहमदाबाद में प्राप्त हुए थे और भुगतान भी अहमदाबाद में प्राप्त हुए थे;

(v) पासबुक में क्रेडिट का उपयोग न करने और उपयोग करने से इनकार करने से अहमदाबाद में प्रत्यर्थागण का व्यवसाय प्रभावित होगा।

(vi) प्रत्यर्थागण ने अहमदाबाद में अपने बैंकों के माध्यम से एक बैंक गारंटी और साथ ही अहमदाबाद में एक बांड निष्पादित किया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायत पासबुक में क्रेडिट न देने और उपयोग करने से इनकार करने के संबंध में थी। उपरोक्त निर्णय के पैरा 12 में, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रासंगिक स्वीकृत तथ्य यह पता लगाने के लिए कि क्या कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा अहमदाबाद में उत्पन्न हुआ था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

“12. अब हम जांच करेंगे कि क्या आवेदनों के पैरा 16 में या उस मामले में संपूर्ण विशेष नागरिक आवेदनों में उल्लिखित कोई भी तथ्य अहमदाबाद में कार्रवाई के किसी भी हिस्से को जन्म देगा, कम से कम क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से अहमदाबाद में उच्च न्यायालय. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सिविल आवेदनों में कोई भी प्रत्यर्थी (यहां याचिकाकर्तागण) अहमदाबाद में तैनात नहीं है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि विचाराधीन पासबुक, जिसका लाभ प्रत्यर्थी नागरिक आवेदनों में मांग रहा है, चेन्नई में तैनात एक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। नामित प्राधिकारी जो पासबुक योजना से संबंधित मामलों के संबंध में सक्षम व्यक्ति है और जो योजना के तहत विभिन्न कार्यों का निर्वहन करता है, वह भी चेन्नई में तैनात है। संबंधित योजना के तहत पासबुक में प्रविष्टियां चेन्नई के अधिकारियों द्वारा की जानी हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए झींगा का निर्यात और इनपुट का आयात, जिसका लाभ प्रत्यर्थी आवेदन में मांग रहे हैं, भी उसी बंदरगाह अर्थात् चेन्नई के माध्यम से करना होगा।

इस प्रकार तथ्यात्मक आधार और बताए गए तथ्यों और तर्क के समर्थन में तर्कों को ध्यान में रखते हुए कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा अहमदाबाद में उत्पन्न हुआ था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“14. हालाँकि आवेदन के पैरा 16 में यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थीगण का कार्यालय अहमदाबाद में है, लेकिन उस तर्क को दबाया

नहीं गया है क्योंकि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि इनमें से किसी भी अपीलार्थिगण का कार्यालय अहमदाबाद में नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यदि हम प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई के कारण के समर्थन में यहां ऊपर दिए गए अन्य तथ्यों पर विचार करते हैं, तो यह देखा जाता है कि इनमें से कोई भी तथ्य किसी भी तरह से प्रत्यर्थीगण द्वारा अहमदाबाद में कार्रवाई का कारण बनने के लिए आवेदन करके सिविल में मांगी गई राहत से जुड़ा नहीं है।

15. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226(2) जो उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख है, इस प्रकार है:

"226. (2) खंड (1) द्वारा किसी भी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, जिसके भीतर कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप में ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण की सीट या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है।

16. उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि एक उच्च न्यायालय उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है जिनके भीतर कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। संविधान में यह प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष कई मामलों में विचार के लिए आया है। इस संबंध में, हमारे लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु (1994) 4 एससीसी 711 (एससीसी पृष्ठ 713) के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा जिसमें यह कहा गया था:

"अनुच्छेद 226 के तहत एक उच्च न्यायालय संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य

उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यदि कार्रवाई का कारण, पूर्ण या आंशिक रूप से हो, उन क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हुआ था जिनके संबंध में यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, इस बात के बावजूद कि सरकार या प्राधिकरण की सीट या उस व्यक्ति का निवास जिसके खिलाफ निर्देश, आदेश या रिट जारी किया गया है, उक्त क्षेत्रों के भीतर नहीं है। अभिव्यक्ति 'कार्रवाई का कारण' का अर्थ तथ्यों का वह बंडल है जिसे याचिकाकर्ता को न्यायालय द्वारा अपने पक्ष में निर्णय का हकदार बनाने के लिए साबित करना होगा। अतः, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी की आपत्ति का निर्धारण करने में न्यायालय को कार्रवाई के कारण के समर्थन में दिए गए सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिए, भले ही उक्त तथ्यों की सत्यता या अन्यथा की जांच शुरू किए बिना हो। इस प्रकार क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के प्रश्न का निर्णय याचिका में दिए गए तथ्यों, याचिका में दिए गए कथनों की सच्चाई या अन्यथा के आधार पर किया जाना चाहिए।

17. उपरोक्त से यह देखा गया है कि इस मामले में किसी रिट याचिका या विशेष नागरिक आवेदन पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए, उच्च न्यायालय को कारण के समर्थन में दिए गए संपूर्ण तथ्यों से संतुष्ट होना चाहिए। कार्रवाई कि वे तथ्य एक कारण बनते हैं ताकि न्यायालय को उस विवाद का निर्णय करने के लिए सशक्त बनाया जा सके जो कम से कम आंशिक रूप से उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो। उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थागण द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत प्रत्येक तथ्य स्वतः इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि वे तथ्य न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई का कारण बनते हैं, जब तक कि वे तथ्य ऐसे न हों जो मामले में शामिल लिस के साथ सांठगांठ या प्रासंगिकता हो। जिन तथ्यों का लिस या मामले में शामिल विवाद से कोई लेना-देना नहीं है, वे कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देते हैं ताकि संबंधित न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा

सके। यदि हम इस सिद्धांत को लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि याचिका के पैरा 16 में दिए गए तथ्यों में से कोई भी, हमारी राय में, तथ्यों के समूह की श्रेणी में नहीं आता है जो अहमदाबाद की अदालतों में एक विवाद को जन्म देने वाली कार्रवाई का कारण बनेगा जो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकता है।

18. जैसा कि हमने पहले देखा है, तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी निर्यात और आयात का व्यवसाय कर रहे हैं या वे अहमदाबाद में निर्यात और आयात ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं या निर्यात और आयात के लिए उनके दस्तावेज़ और भुगतान अहमदाबाद में भेजे/बनाए जाते हैं। इनका आवेदनों में शामिल विवाद से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह, तथ्य यह है कि चेन्नई से किए गए निर्यात के संबंध में दावा किए गए शुल्क का श्रेय अहमदाबाद के प्रत्यर्थीगण द्वारा संभाला गया था, इसका भी आवेदन में लगाए गए अपीलार्थीगण के कार्यों से कोई संबंध नहीं है। पासबुक में क्रेडिट न देने और देने से इनकार करने का अहमदाबाद में प्रत्यर्थीगण के व्यवसाय पर अंतिम प्रभाव, यदि कोई हो, तो भी, हमारी राय में, अपीलार्थीगण के खिलाफ शिकायत की गई कार्रवाइयों पर अहमदाबाद की न्यायालय में निर्णय के लिए कार्रवाई के ऐसे किसी भी कारण को जन्म नहीं देगा।

उपरोक्त विचार उस मामले के तथ्यात्मक आधार पर लागू किए गए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आधिकारिक रूप से माना गया था कि पैरा 13 में बताए गए सभी तथ्य कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा भी नहीं बनेंगे, ताकि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिया जा सके। अहमदाबाद में उच्च न्यायालय महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया गया कि जब तक प्रस्तुत किए गए तथ्य ऐसे नहीं हैं जिनका मामले में शामिल पुलिस के साथ संबंध और प्रासंगिकता है, तो यह कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग नहीं होगा, जिससे यह कहा जा सके कि अहमदाबाद में उच्च न्यायालय यह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोवा राज्य बनाम समिट ऑनलाइन ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (सुप्रा.) के मामले में हालिया न्यायिक निर्णय में स्पष्ट रूप से दोहराया था। तथ्यों के आधार पर, यह

एक ऐसा मामला था जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत जारी अधिसूचनाएं चुनौती के अधीन थीं। उस मामले की माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार तथ्यात्मक पृष्ठभूमि नोट की गई:

“11. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश सुनाते हुए यह माना कि रिट याचिकाकर्ता न केवल जीजीएसटी अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता द्वारा जारी अधिसूचना से व्यथित थे, बल्कि इसके तहत अधिसूचना जारी करने में केंद्र सरकार के कृत्य से भी व्यथित थे। सीजीएसटी अधिनियम के साथ-साथ आईजीएसटी अधिनियम सिक्किम राज्य द्वारा आयोजित, प्रचारित और संचालित लॉटरी पर कर (जीएसटी) लगाने की मांग करता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह जीजीएसटी अधिनियम के तहत जीएसटी की वास्तविक घटना नहीं है, जिसे रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है, बल्कि संसद के साथ-साथ गोवा राज्य सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान हैं, जिनके द्वारा उन्होंने मांग की थी। लॉटरी पर जीएसटी लगाने के लिए रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय का विचार था कि, कम से कम, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि चूंकि 2017 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 36 और 38 पर 17-7-2017 को नोटिस जारी किया गया था, 20-9-2017 को गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा नियम जारी किए जाने से बहुत पहले सेरेनिटी ट्रेड्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत सरकार, 2017 एससीसी ऑनलाइन बॉम 10242 में याचिकाकर्ता द्वारा हटाने के लिए कोई आधार स्थापित नहीं किया गया था; अतः, हटाने की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन खारिज कर दिए गए।

12. रिट याचिका पर विचार करने और सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के समर्थन में, याचिकाकर्ता कंपनी ने यह

कहा है:

"29. यह माननीय न्यायालय के पास उक्त रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि कार्रवाई का कारण केवल सिविकम में उठता है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी दोनों इस माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं।"

इन दो वाक्यों के अलावा, उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के समर्थन में और कुछ नहीं कहा गया है।

13. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कंपनी के अनुसार कार्रवाई का कारण केवल सिविकम में उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कि कार्रवाई का पूरा कारण और उसका हिस्सा नहीं; इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि सभी प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

उपरोक्त मामले में कार्रवाई का कारण इस प्रकार बताया गया:

"16. अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, कुक बनाम गिल (1873) एलआर 8 सीपी 107 में लॉर्ड ब्रेट द्वारा दी गई "कार्रवाई के कारण" की क्लासिक परिभाषा है कि "कार्रवाई के कारण का मतलब हर उस तथ्य से है जिसे साबित करना वादी के लिए आवश्यक होगा, यदि इसका पता लगाया जाए, न्यायालय के निर्णय पर उसके अधिकार का समर्थन करने का आदेश", इस न्यायालय ने कुछ निर्णयों में स्वीकार कर लिया है। यह स्वयंसिद्ध है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। हालाँकि, एक रिट याचिका के संदर्भ में, इस तरह की "कार्रवाई का कारण" क्या होगा, यह भौतिक तथ्य हैं जो रिट याचिकाकर्ता के लिए दावा करने और दावे के अनुसार राहत प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं।

17. इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या प्रस्तुत तथ्य कार्रवाई के कारण का हिस्सा हैं, संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) को आकर्षित करने के

लिए पर्याप्त हैं, इसमें आवश्यक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक अभ्यास शामिल होगा कि तथ्य, जैसा कि निवेदन किया गया है, कार्रवाई के कारण का एक भौतिक, आवश्यक या अभिन्न अंग बनता है। इस प्रकार निर्धारण में, मामले का सार ही प्रासंगिक है। अतः, यह इस प्रकार है कि रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले पक्ष को यह खुलासा करना होगा कि कार्रवाई के कारण के समर्थन में पेश किए गए अभिन्न तथ्य उच्च न्यायालय को विवाद का निर्णय करने के लिए सशक्त बनाने वाले एक कारण का गठन करते हैं और कम से कम, कारण का एक हिस्सा है उच्च न्यायालय में जाने की कार्रवाई उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न हुई। इस तरह के अनुरोधित तथ्यों का चुनौती की विषय-वस्तु के साथ संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है। वे तथ्य जो प्रार्थना की मंजूरी के लिए प्रासंगिक या प्रासंगिक नहीं हैं, वे न्यायालय पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देंगे। ये मार्गदर्शक परीक्षण हैं।

इस प्रकार सिद्धांत की व्याख्या करने के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि सिक्किम के न्यायालय का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था।

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नवल किशोर शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भारी भरोसा जताया गया है।

उपरोक्त निर्णय में भी, उन सिद्धांतों को, जिन्हें बार-बार कहा और दोहराया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा और संदर्भित किया गया था। उपरोक्त निर्णय के पैरा 16 में यह स्पष्ट किया गया था कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि रिट याचिका दायर करने के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से कार्रवाई का कारण किसी उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ है या नहीं, इसका निर्णय इस आलोक में किया जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही की प्रकृति और चरित्र और एक रिट याचिका को बनाए रखने के लिए, याचिकाकर्ता को यह स्थापित



करना होगा कि उसके द्वारा दावा किए गए कानूनी अधिकार का प्रत्यर्थीगण द्वारा क्षेत्रीय सीमा के भीतर उल्लंघन किया गया है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार. उस आधार पर, उस मामले के तथ्यात्मक पहलू, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार देता था, इस प्रकार बताए गए थे:

“17. हमने रिट याचिका में बताए गए तथ्यों और याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने सांस लेने में कठिनाई सहित विभिन्न बीमारियों के कारण बीमारी की सूचना दी। उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया। नतीजतन, उन्हें आगे के चिकित्सा उपचार के लिए साइन अप कर लिया गया। अंत में, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी (हृदय की मांसपेशियों की बीमारी) के कारण समुद्री सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप, भारत सरकार के जहाजरानी विभाग ने 12-4-2011 को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता का नाविक के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया। पत्र की एक प्रति याचिकाकर्ता को बिहार में उसके मूल स्थान पर भेजी गई थी, जहां वह चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाने के बाद रह रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य में अपने घर से प्रत्यर्थी को विकलांगता मुआवजे का दावा करते हुए एक अभ्यावेदन भेजा। उक्त अभ्यावेदन का उत्तर प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया था, जो उसे गया, बिहार में उसके घर के पते पर संबोधित किया गया था, जिसमें विकलांगता मुआवजे के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया गया था। यह और भी स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता से हस्ताक्षर किए गए और उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो वह बिहार के गया जिले में अपने घर वापस लौट आया और उसके बाद, उसने सभी दावे किए और गया में अपने घर के पते और उन पत्रों से अभ्यावेदन दायर किया और प्रत्यर्थीगण द्वारा अभ्यावेदन पर विचार किया गया और उत्तर दिया गया और उन अभ्यावेदन पर निर्णय के बारे में उन्हें बिहार में उनके घर के पते पर

सूचित किया गया। माना जाता है कि, याचिकाकर्ता हृदय की मांसपेशियों की गंभीर बीमारी (डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी) और सांस लेने की समस्या से पीड़ित था, जिसके कारण उसे अपने मूल स्थान पर रहना पड़ा, जहां से वह अपनी विकलांगता मुआवजे के संबंध में सभी पत्राचार कर रहा था। अतः, प्रथम दृष्टया, सभी तथ्यों पर एक साथ विचार करने पर, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा या अंश पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ, जहां उन्हें विकलांगता मुआवजे से वंचित करने से इनकार करने का एक पत्र प्राप्त हुआ।

18. इसके अलावा, प्रत्यर्थागण के जवाबी हलफनामे और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों से पता चलता है कि पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर होने के बाद, उस पर विचार किया गया और नोटिस जारी किए गए। उक्त नोटिस के अनुसरण में, प्रत्यर्था उपस्थित हुए और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में भाग लिया। इससे यह भी पता चलता है कि दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने 18-9-2012 को शिपिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को कम से कम रु. 2.75 लाख का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया, जो रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा। अंतरिम आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्था शिपिंग कॉर्पोरेशन। भारत सरकार ने याचिकाकर्ता के बैंक खाते में 2,67,270/- रुपये (आयकर की कटौती के बाद) भेज दिए। हालाँकि, जब रिट याचिका की सुनवाई की गई, तो उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि कार्रवाई का कोई भी कारण, यहां तक कि कार्रवाई के कारण का एक अंश भी, उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ है।

17. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नवल किशोर शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार में भिन्नता है।

18. यह पूरी तरह से अलग स्थिति होती, यदि प्रत्यर्थागण ने याचिकाकर्ता के सीमा

शुल्क के भुगतान से छूट के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया होता कि हालांकि अधिसूचना संख्या की अन्य सभी आवश्यकताएं 50/2023-सीमा शुल्क दिनांक 25.08.2023 को पूरा किया गया है, याचिकाकर्ता को केवल भुगतान के तरीके में अंतर के आधार पर सीमा शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है। वर्तमान मामले में तथ्यात्मक रूप से यह मामला सामने नहीं आया है। रिट याचिका में कहा गया है कि माल की मंजूरी के लिए एक मेल भेजा गया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया है। रिट याचिका में स्पष्ट रूप से यह भी नहीं कहा गया है कि एकमात्र ऑपरेटिव कारण भुगतान के तरीके में अंतर था। अतः, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता की शिकायत मुख्य रूप से अधिसूचना संख्या 50/2023-सीमा शुल्क दिनांक 25.08.2023, में शामिल शर्तों को पूरा करने के बावजूद माल की मंजूरी न मिलने के कारण है। इस धारणा पर, बिना किसी तथ्यात्मक आधार के, इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई है कि केवल भुगतान के तरीके में अंतर के आधार पर छूट का लाभ अस्वीकार कर दिया गया है। उस अच्छे, लेकिन स्पष्ट अंतर को ध्यान में रखते हुए और इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के मुद्दे को रिट याचिका में की गई दलीलों के आधार पर तय किया जाना चाहिए, हमारा विचार है कि इस न्यायालय में मामले की मेरिट तय करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का अभाव है और याचिकाकर्ता को उचित मंच से संपर्क करना चाहिए था।

19. परिणामस्वरूप, क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर रिट याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति बरकरार रहती है और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, जिससे याचिकाकर्ता को उचित फोरम के समक्ष अपना समाधान निकालने का मौका मिलता है।

(प्रवीर भटनागर), न्यायमूर्ति

(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति

Manoj Narwani/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।